RNI NO. MPHIN/2022/85285
डाक पंजी.क्र. - MP/KDW/93/2026-28

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र

हलधर किसान

KISAN PLUS TV | KISAN PLUS Radio

स्मार्ट किसान की पहली पसन्द Haldharkisankgn@gmail.com

वर्ष 5 अंक 03 (मासिक) मई पृष्ठ-8 मूल्य, 5 रुपये

बंपर उत्पादन से खुली गेहूं निर्यात की राह, 4 साल बाद 22, 000 मीट्रिक टन गेहूं एक्सपोर्ट करने जा रहा भारत

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

नई दिल्ली। 4 साल के अंतराल के बाद भारत एक बार फिर गेहूं के निर्यात को अनुमति देने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 के बाद पहली बार गेहूं के एक्सपोर्ट को मंजूरी मिली है। देश में बंपर उत्पादन के बाद घरेलू स्टॉक मजबूत हुआ है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों और बेहतर ट्रांसपोर्टिंग दरों ने भारतीय गेहूं को एशिया और मध्य.पूर्व के खरीदारों के लिए प्रतिस्पर्धी बना दिया है।

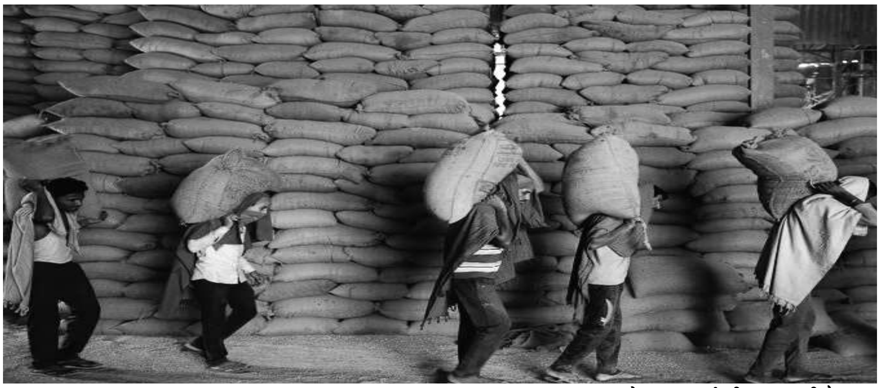

व्यापारिक सूत्रों के मुताबिक देश की प्रमुख कंपनी आईटीसी ने पश्चिमी तट स्थित कांडला बंदरगाह से करीब 22,000 मीट्रिक टन गेहूं की लोडिंग भी शुरू कर दी है। ये गेहूं संयुक्त अरब अमीरात भेजा जाएगा। शिपिंग में सुधार और इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी कीमतों के चलते एक्सपोर्ट शुरू हो रहा है।

ईरान-अमेरिका युद्ध का भी असर

बता दें कि मिडिल.ईस्ट में जारी तनाव के चलते माल ढुलाई की लागत बढ़ी है। कुछ खरीददार हैं जिन्हें तत्काल शिपमेंट की जरूरत है और उन्होंने भारत से बातचीत आगे बढ़ाई। रिपोर्ट्स के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात को 22,000 टन गेहूं निर्यात करने का सौदा लगभग 275 डॉलर प्रति टन (फ्री ऑन बोर्ड) के भाव पर हुआ है।

2022 में रोका गया था

पिछले कुछ सालों में मौसम की उथल.पुथल और भीषण गर्मी के कारण गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ था। ऐसा लगा था कि साल 2017 के बाद भारत को गेहूं इंपोर्ट करना पड़ सकता है। घरेलू स्टॉक को मजबूत रखने और फूड सिक्योरिटी के चलते भारत सरकार ने 2022 में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। इसके बाद साल 2023-24 में भी रोक जारी रखी गई थी। अब रोक को हटा दिया गया है।

अच्छी पैदावार से मिली निर्यात को मंजूरी

ज्ञात हो कि भारत, चीन के बाद गेहूं उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। इस साल गेहूं की अच्छी पैदावार होने के कारण ना सिर्फ भंडारण मजबूत हुआ है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है और भारत अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भारत गेहूं एक्सपोर्ट के बड़े खिलाड़ी के रुप में फिर शामिल हो सकता है।

मूडीज रिपोर्ट: वैश्विक आर्थिक संकटों के बीच भारत सबसे लचीली अर्थव्यवस्था

हलधर किसान नई दिल्ली.

मूडीज रेटिंग्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार,भारत 2020 से सबसे लचीली बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्था रहा है, और इसके विशाल विदेशी मुद्रा भंडार ने वैश्विक झटकों के दौरान मुद्रा अस्थिरता को नियंत्रित करने और विश्वास को मजबूत करने में मदद की है।

उभरते बाजारों पर 5 मई को जारी एक रिपोर्ट में, मूडीज ने कहा कि भारत भविष्य के झटकों का प्रबंधन करने के लिए अच्छी स्थिति में है क्योंकि मौद्रिक नीति ढांचे स्पष्ट और पूर्वानुमान योग्य हैं, मुद्रास्फीति की उम्मीदें अच्छी तरह से स्थिर हैंए और विनिमय दरें जरूरत पड़ने पर समायोजित हो सकती हैं।

मूडीज ने कहा कि उभरते बाजारों के संप्रभु देशों में भारत भविष्य के वैश्विक झटकों से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में हैए और साथ ही देश भविष्य में तनाव के किसी भी दौर में मजबूत और सुलभ सुरक्षा उपायों के साथ प्रवेश करेगा।

मूडीज ने आगे कहा, घरेलू वित्तपोषण पर भारत की निर्भरता मजबूत स्थानीय बाजारों और पर्याप्त भंडार द्वारा संतुलित है। फिर भी, भारत का अपेक्षाकृत उच्च ऋण भार और कमजोर राजकोषीय संतुलन लगातार झटकों का सामना करने के लिए उपलब्ध गुंजाइश को सीमित करता है। इसमें कहा गया है कि भारत ने हालिया तनावपूर्ण अवधि से काफी पहले ही स्थिरता को बनाए रखने वाले महत्वपूर्ण नीतिगत विकल्प चुने थे। मूडीज ने कहा कि कई बड़े उभरते बाजार के संप्रभु देशों ने पिछले पांच वर्षों में जोखिम प्रीमियम में तीव्र वृद्धि या बाजार पहुंच के नुकसान के बिना कई बड़े वैश्विक झटकों को झेल लिया है। यह नीतिगत ढांचों में स्थायी सुधारों और सुरक्षा उपायों के निर्माण के साथ.साथ विशेष रूप से सहायक बाहरी परिस्थितियों को दर्शाता है।

मूडीज ने उभरते बाजारों की संप्रभु सरकारों के वित्तपोषण लागत और अस्थिर वित्तीय स्थितियों के प्रति बाजार पहुंच के मामले में उनके लचीलेपन के ट्रैक रिकॉर्ड का आकलन किया।

इसमें वैश्विक जोखिम से बचने की प्रवृत्ति में निरंतर वृद्धि के कारण पहचाने गए चार तनावपूर्ण परिदृश्यों के दौरान बड़े उभरते बाजार वाले देशों (भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, मलेशिया, थाईलैंड, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, तुर्की, अर्जेंटीना) पर ध्यान केंद्रित किया गया। इनमें 2020 की शुरुआत में कोविड.19 महामारी का प्रकोप, 2022 में वैश्विक मुद्रास्फीति में उछाल और उससे संबंधित अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा सख्ती का चक्र, 2023 की शुरुआत में अमेरिकी क्षेत्रीय बैंकिंग तनाव और 2025 में नए सिरे से टैरिफ तनाव शामिल हैं।

कीटनाशक बिल का मसौदा तैयार संसद के अगले सत्र में होगा प्रस्तुत

हलधर किसान
नई दिल्ली।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कीटनाशक बिल को संसद के अगले सत्र में पेश करने का एलान किया है, जिसके बाद कीटनाशक उद्योग ने केंद्र से बिल में संशोधन की मांग तेज कर दी है। हालांकि उद्योग के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले दो संगठन डेटा सुरक्षा को लेकर अलग.अलग सुझाव दे रहे हैं।

केंद्र सरकार के कीटनाशक कानून लाने की तैयारियों के बीच कंपनियों और संगठनों के बीच ही मतभेद शुरू हो गए हैं। कुछ कंपनियां चाहती हैं कि उनके रिसर्च और डेटा को सुरक्षा मिले ताकि वे नई तकनीक और बेहतर प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा निवेश करें। उनका मानना है कि इससे खेती में नए और अच्छे कीटनाशक आएंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ संगठन इसका विरोध कर रहे हैं।

उद्योग संगठन क्रॉपलाइफ इंडिया बिल के मसौदा नियमों में तय समय-सीमा वाले प्रोटेक्शन ऑफ रेगुलेटरी डाटा ढांचे को शामिल करने की मांग कर रहा है। इस मांग से उलट पीएमएफएआई ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मसौदे से इन्हीं डाटा सुरक्षा नियमों को बाहर रखने का सुझाव दिया है।

रेगुलेटरी डेटा सुरक्षा और नवाचार के बीच सीधा संबंध है। कंपनी नए कीटनाशक बनाने में रिसर्च और फिर ट्रायल पर खर्च करती है। इस दौरान सामने आने वाला डाटा को कंपनी केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति को भेजती है। एक तर्क यह है कि मसौदे में रेगुलेटरी डेटा सुरक्षा को शामिल करने से दूसरी कंपनियां इस डाटा का इस्तेमाल एक तय समय सीमा तक नहीं कर सकेंगी, जिससे कीटनाशकों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि पीएमएफएआई ने इस तर्क पर सवाल उठाया है।

पीएमएफएआई का कहना है कि रेगुलेटरी डेटा सुरक्षा नियमों से प्रतिस्पर्धा घटेगी और किसानों के लिए कीटनाशक महंगे हो जाएंगे।

भारतीय कंपनियों को होगा नुकसान

संगठम ने इन नियमों से प्रतिस्पर्धा रुकने और किसानों तक सस्ते कीटनाशक की पहुंच दवाब में आने की संभावना जताई है। एमएफएआई के अध्यक्ष प्रदीप दवे के अनुसार, यह मुद्दा पिछले एक दशक से अधिक समय से विभिन्न सरकारी विभागों की जांच के दायरे में है और पिछली समीक्षाओं में अतिरिक्त सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं बताई गई थी। उन्होंने बताया कि विदेशी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां और आयातक, मौजूदा पेटेंट अवधि के अलावा 5 ल की अतिरिक्त सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पीएमएफएआई का मानना है कि यह नियम रतीय कंपनियों के लिए नुकसानदायक होगा।

नवाचार के लिए 20 साल पर्याप्त

पीएमएफएआई का तर्क है कि भारत में पहले से ही 20 साल का पेटेंट नियम लागू है, जो नई दवा खोजने वालों के लिए पर्याप्त है। संगठन के अनुसार, दुनिया भर के लगभग 90 प्रतिशत बाजार पर जेनेरिक कीटनाशकों का कब्जा है। अगर डेटा सुरक्षा के जरिए एकाधिकार बढ़ाया जाता है, तो जेनेरिक दवाओं को बाजार में आने में देरी होगी, जिससे किसानों की लागत बढ़ जाएगी। साथ ही, एक कीटनाशक का व्यावसायिक जीवन 30 से 35 साल होता है, ऐसे में अतिरिक्त सुरक्षा मिलने से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाएगा।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अधिकतर उत्पाद भारत नहीं पहुंचे

नवाचार के तर्क पर सवाल और भारत की बढ़ती ताकत पीएमएफएआई ने इस तर्क पर भी सवाल उठाया है कि नए आविष्कारों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कड़े नियमों की जरूरत है। संगठन के आंकड़ों के अनुसार, साल 2010 के बाद से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में नए कीटनाशकों के लिए जितने पेटेंट मिले हैं, उनमें से 10 में से 6 उत्पादों को भारत के बाजार में कभी उतारा ही नहीं गया, जबकि उन्हें अन्य देशों में लॉन्च कर दिया गया था। पीएमएफएआई के अनुसार, यह दर्शाता है कि डेटा सुरक्षा देने से भारतीय बाजार में नए उत्पाद आने की कोई गारंटी नहीं है।

कृषि रसायन क्षेत्र में भारत की तरक्की

इसके अलावा, भारत का कृषि रसायन क्षेत्र इस समय तेजी से विकास कर रहा है। पीएमएफएआई के अनुसार, पिछले दो सालों में 36 नए कीटनाशक पंजीकृत हुए हैं, यानी हर महीने औसतन 1.5 नए पंजीकरण हुए हैं। इसके साथ हीए भारत अब दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक बनने के बजाय तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, जो देश के घरेलू निर्माण की मजबूती को दिखाता है।

संसदीय समिति ने 20 साल के पेटेंट को पर्याप्त बताया

भारत में यह बहस नई नहीं है। पीएमएफएआई ने बताया कि इससे पहले कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 पर चर्चा के दौरान संसदीय स्थायी समिति ने भी यह निष्कर्ष निकाला था कि 20 साल का पेटेंट समय निवेश और खोज के लिए पर्याप्त है और समिति ने अतिरिक्त डेटा सुरक्षा की सिफारिश करने से इनकार कर दिया था।

वैश्विक स्तर पर भी, रेगुलेटरी डेटा सुरक्षा को ट्रिप्स.प्लस नियम माना जाता है, जो विश्व व्यापार संगठन की न्यूनतम आवश्यकताओं से भी सख्त है। ऐसे नियम जेनेरिक दवाओं की बाजार में एंट्री रोक सकते हैं, जो भारत जैसे बड़े कृषि वाले विकासशील देशों के लिए जरूरी हैं। पीएमएफएआई का कहना है कि अतिरिक्त डेटा सुरक्षा के बिना भी भारत का बड़ा कृषि बाजार विदेशी और घरेलू दोनों कंपनियों के लिए आकर्षक है।

इंडोनेशिया ने बदले इंपोर्ट नियम, भारत की मूंगफली एक्सपोर्ट पर मंडराए संकट के बादल

हलधर किसान नई दिल्ली।

इंडोनेशिया ने अपने देश में इम्पोर्ट की जाने वाली मूंगफली के लिए नया नियम बनाया है, जिसके बाद भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल नए नियम के अनुसार गुणवत्ता मानकों को ज्यादा सख्त कर दिया गया है। इसके साथ ही इंडोनेशिया ने घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए कोटा सिस्टम भी लागू कर दिया है।

व्यापारियों और किसानों को तैयारी के लिए सिर्फ 14 दिनों का समय दिया गया है, जबकि आमतौर पर ऐसी तैयारियों के लिए कम से कम 90 दिनों का समय दिया जाता है। जिससे एक्सपोर्टर्स को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

जीएपी सर्टिफिकेट लेना जरूरी

नए नियम के मुताबिक इंडोनेशिया को मूंगफली भेजने के लिए अब जीएपी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो गया है। बता दें कि जीएपी का सर्टिफिक्रेट लेना आसान नहीं होता है, इसके लिए 90 से 180 दिनों का समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में अगले कुछ महीनों के लिए भारत से इंडोनेशिया के लिए मूंगफली का एक्सपोर्ट रुक सकता है।

भारत को सबसे ज्यादा नुकसान

इंडोनेशिया की ओर से बनाए नए नियम सभी देशों के लिए लागू होंगे लेकिन इससे भारत को अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका कारण ये है कि इंडोनिशिया भारत की मूंगफली का बड़ा खरीददार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2024.25 में भारत ने कुल 7.46 लाख टन मूंगफली का निर्यात किया, जिसकी कीमत करीब 795 मिलियन डॉलर थी। इसमें से 2.77 लाख टन मूंगफली इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट की गई थी।

वित्त वर्ष 2025.26 के अप्रैल से फरवरी के बीच भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। भारत ने कुल 6.34 लाख टन मूंगफ्ली का एक्सपोर्ट किया, जिसमें से 1.54 लाख टन इंडोनेशिया को भेजा गया। यही कारण है कि इंडोनेशिया के नए नियमों से भारतीय एक्सपोर्टर्स को तगड़ी चोट हुई है।

एपीडा की कोशिश भी नहीं आई काम

देश में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यातको बढ़ावा देने वाली संस्था एपीडा ने इंडोनेशिया के भीतर भारत के बाजार को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए थे, लेकिन उसकी कोशिशों को भी झटका लगा है। अब मूंगफली के दाने और छिलके वाली मूंगफली दोनों पर यह नियम लागू होंगे, हालांकि भुनी हुई मूंगफली पर यह नियम लागू नहीं है।

इंडोनेशिया ने पहले भी लगाई थी रोक

मूंगफली को लेकर इंडोनेशिया के साथ व्यापार में बाधा का ये कोई पहला मुद्दा नहीं है। हमारा सबसे बड़ा खरीददार इंडोनेशिया सितंबर 2025 में गुणवत्ता मानकों का हवाला देते हुए इंपोर्ट पर पहले भी रोक लगा चुका है। उस वक्त मूंगफली में अफ्लाटॉक्सिन नाम के तत्व की मात्रा ज्यादा होने पर आपत्ति जताई गई थी। आपका बता दें कि अफ्लाटॉक्सिन फंगस से पैदा होता है जो हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है।

मप्र की उद्यानिक उत्पादों को वैश्विक स्तर पर मिलेगी पहचान, 11 फसलों को मिलेगा जीआई टैग

हलधर किसान भोपाल।

मध्य प्रदेश के उद्यानिकी उत्पादों को दुनिया में पहचान दिलाने के प्रदेश सरकार ने प्रयास तेज कर दिए है। इसके लिए जीआई टैग दिलवाने की प्रक्रिया की जा रही है। इनके अलावा 3 फसलों सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी और बैंगनी अरहर को जीआई टैग के लिए भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री कार्यालय चैन्नई भेजा चुका है। इनमें से कुछ कृषि उत्पादों के दस्तावेज तैयार करके जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय ने भेजे हैं। अब मध्य प्रदेश के 27 से अधिक उत्पादों को पहले ही जीआई टैग हासिल हो चुका है। बता दें कि जीआई टैग मिलने से इस फसल की शुद्धता और गुणवत्ता की गारंटी मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी मांग बढ़ेगी। वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्यानिकी विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य के कई कृषि उत्पादों और फसलों को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया की जा रही है। उन्होंने कहा कि फसलों को जीआई टैग मिलने से देशभर में इनकी बिक्री आसान हो जाएगी और इन्हें उगाने वाले किसानों की कमाई बढ़ेगी और आर्थिक मजबूती मिलेगी। बता दें कि जीआई टैग फसलों को ऊंची कीमत मिलती है और उनके खरीदार और बाजार का दायरा भी बढ़ जाता है।

नागदमन कुटकी को जीआई टैग मिलेगा

मध्य प्रदेश सरकार ने खास किस्म की कुटकी नागदमन कुटकी को जीआई टैग दिलाने के लिए चेन्नई ऑफिस भेजा है। नागदमन कुटकी डिंडोरी जिले में उगाई जाने वाली कुटकी की एक विशिष्ट स्थानीय किस्म है। यह अपने औषधीय गुणों और उच्च पोषण मूल्य के लिए जानी जाती है। नागदमन कुटकी की खेती आदिवासी किसान खूब करते हैं

20 क्विंटल पैदावार वाली बैंगनी अरहर को जीआई टैग मिलेगा

मध्य प्रदेश की अरहर दाल की देसी किस्म बैंगनी अरहर को जीआई टैग मिलेगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैंगनी अरहर में पौधे या फलियों पर बैंगनी रंग की झलक होती है।

इन 11 फसलों को मिलेगा जीआई टैग

मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 कृषि उत्पादों और फसलों को जीआई टैग के लिए भेजा जा रहा है। इनमें जबलपुरी मटर, गुना का कुंभराज धनिया शामिल है। जबकि, बुरहानपुर का केला, रतलाम का रियावन लहसुन, खरगोन की मिर्च, इंदौर का मालवी आलू और बरमन भटा को भी जीआई टैग दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि छतरपुर का पान जैसे उद्यानिकी उत्पादों को जल्दी ही विशिष्ट भौगोलिक पहचान मिल जाएगी। सिताही कुटकी को जीआई टैग के लिए चेन्नई भेजा गया।

सिताही कुटकी यानी बाजरा की छोटी की देशी किस्म है। यह बारिश आधारित क्षेत्रों और देर से बुवाई की स्थितियों के लिए उपयुक्त है। यह सूखे की मार, नमी की कमी, प्रमुख कीटों, ग्रेन स्मट और ब्राउन स्पॉट जैसी बीमारियों का सामना करने में सक्षम है। सिताही कुटकी की मध्यम ऊंचाई और मोटे तने के कारण फसल के गिरने की समस्या नहीं रहती। इसे पहाड़ी, ऊबड़-खाबड़ तथा कमजोर मिट्टी वाली स्थितियों में भी उगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के डिण्डोरी के बैगा और गोंड जनजातियों के किसान इसे खूब पैदा करते हैं। डिंडोरी में सिताही कुटकी की खेती की 10,395 हेक्टेयर क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। जबकि, पैदावार में 10.11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का इजाफा हुआ है।

इसमें भरपूर प्रोटीन होता है। रोगों से लड़ने की जबरदस्त क्षमता होती है। अच्छी देखभाल होने पर 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन हो सकता है।

चिन्नौर चावल और कड़कनाथ मुर्गा को मिला जीआई टैग

सरकारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 तक मध्य प्रदेश के कृषि, खाद्य और हस्तशिल्प सहित कुल 27 प्रतिष्ठित उत्पादों को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से प्रमुख कृषि और खाद्य उत्पादों में बालाघाट का चिन्नौर चावल, झाबुआ का कड़कनाथ चिकन मीट, रीवा का सुंदरजा आम और मुरैना की गजक शामिल हैं।

6.91 लाख किसानों से 34.73 लाख मीट्रिक टन गेहूं का हुआ उपार्जन

हलधर किसान भोपाल।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि अभी तक 6 लाख 91 हजार किसानों से 34 लाख 73 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। अभी तक 14 लाख 64 हजार किसानों द्वारा गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुक कराए गए हैं। किसानों के हित में गेहूं उपार्जन की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई 2026 तक की गई। प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर तौल कांटों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 की गई तथा तौल कांटों की संख्या में वृद्धि का अधिकार जिलों को दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही एनआईसी सर्वर की क्षमता एवं संख्या में वृद्धि कराई गई। खाद्य विभाग द्वारा प्रति घंटा स्लॉट बुकिंग एवं उपार्जन की मॉनीटरिंग की जा रही है।

मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि किसानों को 5462.42 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उपार्जन केन्द्र पर किसानों की सुविधा के लिए पीने का पानी, बैठने के लिए छायादार स्थान, जन सुविधाए आदि की व्यवस्थाएँ की गई हैं।

किसानों के उपज की तौल समय पर हो सके, इस हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं। इसमें बारदाने, तौल कांटे, हम्माल तुलावटी, सिलाई मशीन, कम्प्यूटर, नेट कनेक्शन, गुणवत्ता परीक्षण उपकरण, उपज की साफ सफाई के लिए पंखा, छन्ना आदि की व्यवस्था की गई है। उपार्जन केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं के फोटो ग्राफ्स भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही की जा रही है।

किसानों से 2585 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस राशि सहित 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का उपार्जन किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिये आवश्यक बारदानों की व्यवस्था की जा चुकी है। उपार्जित गेहूँ की भर्ती जूट बारदाने के साथ साथ बेग एवं जूट के एक भर्ती बारदाने का उपयोग किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था की गई।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते ने बढ़ाई सेब बागवानों की चिंता

हलधर किसान नई दिल्ली।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते ने जम्मू.कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सेब बागवानों की चिंता बढ़ा दी है। समझौते के तहत न्यूजीलैंड से सेब के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दी है, जिससे स्थानीय उत्पादकों को बाजार में सस्ते विदेशी सेबों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।

एफटी, के प्रावधानों के अनुसार, पहले वर्ष में 32,500 टन सेब को 25 प्रतिशत ड्यूटी पर आयात करने की छूट दी गई है, जो छठे वर्ष तक बढ़कर 45,000 टन हो जाएगी। हालांकि, यह छूट अप्रैल से अगस्त तक के ऑफसीजन में लागू होगी। साथ ही, 1.25 डॉलर प्रति किलो का न्यूनतम आयात मूल्य भी लागू होगा। इससे प्रीमियम सेबों के बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। भारत के सेब उत्पादक इसे अपनी आजीविका के लिए खतरा मान रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश फल.सब्जी उत्पादक संघ के नेता और संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान का कहना है कि सेब पर आयात शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने से न्यूजीलैंड का जो सेब पहले 3,800-4,000 रुपये प्रति बॉक्स (20 किलो) भारत में पहुंचता था, वह अब 3,000-3,200 रुपये में पहुंचेगा। चौहान का कहना है कि एमआईपी के नाम पर भी बागवानों के साथ छल किया जा रहा है।

सबसे बड़ी चिंता ऑफ सीजन बाजार को लेकर है। भारत में सेब का मुख्य सीजन अगस्त से नवंबर तक रहता है, जबकि न्यूजीलैंड का उत्पादन इसके विपरीत समय पर होता है। ऐसे में कम शुल्क के चलते विदेशी सेब उन महीनों में भी बाजार में उपलब्ध रहेंगे, जब स्थानीय सेब कोल्ड स्टोरेज से बेचे जाते हैं। इससे स्टोरेज वाले सेब के दाम गिर सकते हैं और बागवानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

किसान संगठनों का कहना है कि सेब उत्पादक किसान पहले से ही उत्पादन लागत में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और बाजार अस्थिरता के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आयातित सेबों की प्रतिस्पर्धा स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना सकती है।

जल संकटः देश के आधे से ज्यादा जलाशयों में पानी 40% से नीचे, बंगाल में हालात बेहद गंभीर

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

नई दिल्ली।

देश में भीषण गर्मी और कम वर्षा के बीच जल संकट गहराने लगा है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत के 8 राज्यों के 166 प्रमुख जलाशयों में से आधे से अधिक में पानी का स्तर उनकी कुल क्षमता के 40 प्रतिशत से नीचे चला गया है। कुल जल भंडारण भी घटकर 38.72 प्रतिशत रह गया है।

सीडब्ल्यूसी की साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार, इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 183.565 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसमें वर्तमान में 71.082 ठब्ड पानी ही उपलब्ध है। हालांकि यह स्तर पिछले साल की तुलना में 14 प्रतिशत अंक और पिछले 10 वर्षों के औसत से 26.5 प्रतिशत अंक अधिक है, लेकिन मौजूदा गिरावट चिंता बढ़ा रही है।

दक्षिण भारत में सबसे खराब स्थिति

देश में जल भंडारण की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। जहां एक ओर 166 जलाशयों में पानी का भंडारण 40 फीसदी से नीचे पहुंच चुका है, वहीं नदी घाटियों में भी जल स्तर लगातार कम हो रहा है। असमए गोवा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में जलाशयों का स्तर पिछले साल से कम हो गया है। 30 अप्रैल 2026 को केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी साप्ताहिक बुलेटिन में इस आशय के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं।

केंद्रीय जल आयोग देश के 166 जलाशयों के लाइव स्टोरेज की निगरानी करता है और हर गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी करता है। इन जलाशयों में से 20 जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े हैं, जिनकी कुल लाइव स्टोरेज क्षमता 35.299 अरब घन मीटर (बीसीएम) है। इन 166 जलाशयों की कुल लाइव स्टोरेज क्षमता 183.565 बीसीएम है, जो देश में सृजित अनुमानित कुल क्षमता 257.812 बीसीएम का लगभग 71.20 प्रतिशत है। 30 अप्रैल 2026 के बुलेटिन के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध लाइव स्टोरेज 71.082 बीसीएम है, जो उनकी कुल क्षमता का 38.72 प्रतिशत है, जो 9 अप्रैल 2026 को 44.71 प्रतिशत थी।

हालांकि इसकी तुलना सामान्य के स्तर या पिछले साल से की जाए तो अभी स्थिति बेहतर बताई जा रही है, क्योंकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह स्टोरेज 62.296 बीसीएम थाए जबकि सामान्य स्टोरेज 56.176 बीसीएम था। सामान्य भंडारण का अर्थ पिछले दस वर्षों के औसत भंडारण से है।

लेकिन पूर्वी और पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में हालात बहुत खराब हैं। असम में जलाशयों में सामान्य से लगभग 43 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जो सबसे खराब स्थिति में है। त्रिपुरा के जलाशयों में करीब 42 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में लगभग 58 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इन राज्यों में कई जलाशय 40 प्रतिशत से नीचे की श्रेणी में हैं।

दक्षिण भारत में कुल भंडारण सामान्य से बेहतर बताई गई है, लेकिन कुछ प्रमुख राज्यों में गिरावट चिंता बढ़ा रही है। कर्नाटक में सामान्य से लगभग 14 प्रतिशत कम जल भंडारण हैं। केरल में हल्की गिरावट है, लेकिन जल स्तर लगातार कम हो रहा है। तमिलनाडु के जलाशयों में करीब 22 प्रतिशत कमी रिकॉर्ड की गई है, जो कावेरी बेसिन पर दबाव का संकेत है। सबसे अहम बात यह है कि दक्षिण भारत में 36 जलाशय 40 प्रतिशत से नीचे हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश के जलाशयों में पिछले साल के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है, जबकि पश्चिम भारत के गोवा में केवल 1 जलाशय है लेकिन यहां 12 प्रतिशत से अधिक कमी दर्ज की गई है।

नदी घाटियों में कम हो रहा है जलस्तर

जल आयोग के 9 अप्रैल 2026 के बुलेटिन की तुलना में 30 अप्रैल 2026 के ताज़ा आंकड़े मिश्रित तस्वीर पेश करते हैं। अप्रैल की शुरुआत में गंगा (53.8 प्रतिशत), गोदावरी (47.58 प्रतिशत), नर्मदा (46.09 प्रतिशत) और ताप्ती (60.71 प्रतिशत) अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में थे, हालांकि ये भी आधे या उससे थोड़ा अधिक ही भरे थे। अब ताज़ा बुलेटिन में गंगा बेसिन लगभग 50.01 प्रतिशत पर है, गोदावरी 40.69 प्रतिशत और नर्मदा 38.82 प्रतिशत पर आ गए हैं, यानी इनमें कुछ गिरावट आई है, जबकि ताप्ती अभी भी अपेक्षाकृत संतुलित स्थिति में बना हुआ है। कृष्णा बेसिन पहले 31.31 प्रतिशत पर था और अब भी लगभग 22.55 प्रतिशत के आसपास कमजोर स्थिति में बना हुआ है, जबकि कावेरी (अब 35.74 प्रतिशत) और महानदी (43.51 प्रतिशत) में भी गिरावट दिखती है। उत्तर.पश्चिम और पूर्वोत्तर बेसिनों में भी बदलाव देखने को मिला है। पहले सिंधु बेसिन 41.52 प्रतिशत और माही 48.70 प्रतिशत पर थे, अब माही बेहतर होकर 44.71 प्रतिशत के आसपास बना हुआ है, जबकि सिंधु बेसिन में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। ब्रह्मपुत्र, जो पहले 35.20 प्रतिशत पर था, अब लगभग सामान्य के आसपास स्थिर दिख रहा है। हालांकि पूर्वोत्तर के बराक बेसिन की स्थिति और कमजोर बनी हुई है, जहां अब भी सामान्य से करीब 24 प्रतिशत की कमी दर्ज हो रही है, जिससे यह सबसे कमजोर बेसिन बना हुआ है। छोटे और तटीय बेसिनों में असमानता और साफहो गई है। 9 अप्रैल को पेनार 73.43 प्रतिशत और साबरमती 57.19 प्रतिशत पर थे, जबकि सुवर्णरेखा 80.48 प्रतिशत के साथ सबसे बेहतर स्थिति में था। ताज़ा आंकड़ों में साबरमती और सुबर्णरेखा अभी भी मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन पेनार में गिरावट आई है और यह सामान्य से नीचे चला गया है। ब्राह्मणी/ बैतरणी जो पहले 41.42 प्रतिशत पर था, अब भी सामान्य से नीचे बना हुआ है। वहीं पूर्वी तटीय नदियों (महानदी / पेनार के बीच) और पश्चिमी तटीय नदियों (तदरी/कन्याकुमारी) में पानी का स्तर कम बना हुआ है, जिससे साफ है कि महीने भर में कुल मिलाकर कई बेसिनों में गिरावट आई है और क्षेत्रीय जल असंतुलन और गहरा हुआ है।

मौसम विभाग के आंकड़े इस स्थिति को और गंभीर बनाते हैं। 1 जनवरी से अब तक देश के 70 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सों में सामान्य से कम या बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। वहीं 1 मार्च के बाद तो हालात और खराब हो गए हैं, क्योंकि 726 जिलों में से करीब 78 प्रतिशत जिलों में बारिश की भारी कमी दर्ज की गई है। इसका सीधा असर जलाशयों में पानीकी उपलब्धता पर पड़ा है। बारिश नहीं होने के कारण नदियों और जल स्रोतों में पानी कम आया, जिससे जलाशय भर नहीं पाए। यह स्थिति बताती है कि देश के अधिकांश हिस्सों में पानी का संतुलन बिगड़ रहा है और यदि आने वाले दिनों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई, तो हालात और गंभीर हो सकते हैं।

इन जलाशयों में हालात खराब

देश में ऐसे 9 प्रमुख जलाशय हैं, जहां पानी सामान्य स्तर के 50 प्रतिशत से भी कम रह गया है। इनमें असम का खांडोंग (21.16 प्रतिशत), झारखंड का चंदन डैम (0.00 प्रतिशत), कर्नाटक का तट्टिहल्ला (24.63 प्रतिशत), केरल का पेरियार (29.21 प्रतिशत), तमिलनाडु के अलियार (48.89 प्रतिशत), करायर (49.89 प्रतिशत) और वैगई (15.17 प्रतिशत), तेलंगाना का प्रियदर्शिनी जूराला (46.56 प्रतिशत) तथा पश्चिम बंगाल का कांगसबाती (28.54 प्रतिशत) शामिल हैं। इन जलाशयों की स्थिति खास तौर पर चिंता बढ़ाती है क्योंकि इनमें से कई ऐसे राज्यों में स्थित हैं जहां जल भंडारण पहले से ही पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गया है।

इसी तरह कुल 166 जलाशयों में से 22 जलाशय ऐसे हैं, जहां पानी का स्तर सामान्य के 80 प्रतिशत या उससे कम है। इनमें से 9 जलाशय 50 प्रतिशत से भी नीचे हैं, जबकि 13 जलाशय 51 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के बीच हैं। इन 13 में भी 3 जलाशय 51 से 60 प्रतिशत, 4 जलाशय 61 से 70 प्रतिशत और 6 जलाशय 71 से 80 प्रतिशत के दायरे में हैं, जो संकेत देता है कि बड़ी संख्या में जलाशय अभी भी पूरी तरह संतोषजनक स्थिति में नहीं हैं।

दक्षिण भारत में सबसे खराब स्थिति

दक्षिण भारत के 47 जलाशयों में जलस्तर सबसे कम दर्ज किया गया है, जो कुल क्षमता का केवल 28 प्रतिशत है।

तेलंगानाः 20.87 % (सबसे कम)

कर्नाटकः 24 %

केरल : 28 %

तमिलनाडु : 37 %

आंध्र प्रदेश : 39 % (सबसे बेहतर स्थिति)

पूर्वी भारत में भी हालात चिंताजनक

पूर्वी क्षेत्र के 27 जलाशयों में कुल जलस्तर 34% है।

पश्चिम बंगाल : केवल 12 प्रतिशत (अत्यंत गंभीर स्थिति)

असम : 18.5 %

ओडिशा : 33 %

झारखंड : आधे से कम भरे

मेघालय : 70 % (बेहतर)

त्रिपुरा : 58 %

उत्तर और पश्चिम में मध्यम स्थिति

उत्तरी क्षेत्र के 11 जलाशयों में जलस्तर 43 प्रतिशत है।

पंजाब : 68 प्रतिशत %

हिमाचल प्रदेश : 36.6 %

राजस्थान : 48.3 %

पश्चिमी क्षेत्र के 53 जलाशयों में जलस्तर 45 % है।

गुजरात : 51.8 %

महाराष्ट्र : 39 %

गोवा : 41 %

मध्य भारत में स्थिति थोड़ी बेहतर

मध्य क्षेत्र के 28 जलाशयों में जलस्तर 45.7 % है।

छत्तीसगढ़ : 59 %

मध्य प्रदेश : 47%

उत्तर प्रदेश : 41%

उत्तराखंड : 30 %

तमिलनाडु में शुरू हुआ देश का पहला केला जीन बैंक, दुर्लभ किस्मों का होगा संरक्षण

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

तमिलनाडु के त्रिची में देश का पहला केला फील्ड जीन बैंक शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य दुर्लभ और पारंपरिक केले की किस्मों को संरक्षित करना और किसानों को इससे जोड़कर कृषि को नई मजबूती देना है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना ने प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी के सहयोग से देश का पहला केला फील्ड जीन बैंक स्थापित किया है। इसका मकसद उन पारंपरिक और दुर्लभ किस्मों को बचाना है, जो धीरे-धीरे खत्म होती जा रही हैं।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक देश है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार कई पुरानी किस्में अब लुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे में यह जीन बैंक इन किस्मों को सुरक्षित रखने और भविष्य में उनके उपयोग को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही यह पहल जैव विविधता (बायोडायवर्सिटी) को बचाने और कृषि में नए शोध व नवाचार को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी। इस जीन बैंक में त्रिची के साथ-साथ तमिलनाडु के अन्य जिलों. इरोड, थेनी, कोयंबटूर, तूतीकोरिन और तिरुनेलवेल की केले की किस्मों को भी शामिल किया जाएगा। अब तक यहां 19 किस्मों को संरक्षित किया जा चुका है, जिनमें 11 किसानों द्वारा विकसित और 8 एनआरसीबी द्वारा तैयार किस्में शामिल हैं।

इस योजना के तहत किसानों को उनकी विकसित की गई किस्मों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन भी मिलेगा, जिनमें 5 किसान समूहों को 10 लाख रुपये, 10 व्यक्तिगत किसानों को 1.5 लाख रुपये और 20 किसानों को 1 लाख रुपये तक का पुरस्कार दिया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों में देशभर में करीब 10,500 फसल किस्में रजिस्टर हुई हैं, लेकिन तमिलनाडु से केवल 32 किसानों की भागीदारी रही है। ऐसे में किसानों को जागरूक करना और उनकी भागीदारी बढ़ाना बेहद जरूरी है। यह पहल न सिर्फ केले की दुर्लभ किस्मों को बचाने में मदद करेगी, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में भी एक अहम कदम साबित होगी।

पादप किस्मों के संरक्षण और किसान अधिकारों के संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष टी मोहपात्रा ने सोमवार को कहा कि पारंपरिक फसल किस्मों का संरक्षण करने वाले किसानों को आनुवंशिक विविधता की रक्षा और खेती को बढ़ाने के लिए उन्हें पादप किस्मों के संरक्षण और किसान अधिकारों के अधिनियम, 2001 के तहत पंजीकृत कराना चाहिए। यहां आईसीएआर.राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र में केले के लिए एक फील्ड जीन बैंक का उद्घाटन करने के बाद बोलते हुए, उन्होंने चेतावनी दी कि खेती में घटती रुचि कृषि.जैव विविधता को खतरे में डाल रही है, जिससे किसानों की किस्मों का संरक्षण और पंजीकरण महत्वपूर्ण हो गया है।

मोहपात्रा ने कहा कि केंद्र सरकार नारियल, केला और अनार जैसी बागवानी फसलों के लिए फील्ड जीन बैंक को बढ़ावा दे रही है ताकि संरक्षित किस्मों का बड़े पैमाने पर गुणन और उपयोग संभव हो सके। उन्होंने कहा कि फसल विविधता के संरक्षण में किसानों की अहम भूमिका होती है, जो टिकाऊ कृषि का आधार है। कृषि.जैव विविधता में केले के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े उत्पादकों और उपभोक्ताओं में से एक है, जहां केले की फसल देश के लगभग 37 करोड़ मीट्रिक टन बागवानी उत्पादन का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पूर्वोत्तर के राज्यों में केले की समृद्ध विविधता पाई जाती है।

पीपीवी और एफआर, ढांचे के तहतए पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में किसानों के योगदान को औपचारिक रूप से मान्यता दी जाती है और पुरस्कृत किया जाता है। सामुदायिक पुरस्कारों में 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार शामिल है, जबकि व्यक्तिगत किसानों को संरक्षण प्रयासों के लिए तीन वर्षों में 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की राशि के साथ.साथ 15 लाख रुपये तक का समर्थन मूल्य भी मिल सकता है।

पंजीकरणों पर अद्यतन जानकारी देते हुए मोहपात्रा ने बताया कि देशभर से 21,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अब तक 10,500 से अधिक किस्मों का पंजीकरण हो चुका है। इनमें से लगभग आधी किस्में किसानों की हैं, जो बढ़ती भागीदारी को दर्शाती हैं, हालांकि अधिक जागरूकता की आवश्यकता है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी प्रयास केवल बौद्धिक संपदा से चिह्नित फसलों की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि किसानों द्वारा पीढ़ियों से संरक्षित की जा रही पारंपरिक किस्मों तक भी फैले हुए हैं। उन्होंने कहा, किसानों को अपनी संरक्षित फसलों को पंजीकृत कराने के लिए आगे आना चाहिए।

मोहपात्रा ने 120 से अधिक किसानों और उद्यमियों के साथ बातचीत की, जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों और पीपीवी और एफ्आर, अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

इस कार्यक्रम में एनआरसीबी के निदेशक आर सेल्वराजन, पीपीवी एंड एफ्आर, के रजिस्ट्रार जनरल दिनेश कुमार अग्रवाल, कानूनी सलाहकार राज गणेश और आईसीएआर के सहायक महानिदेशक वीबी पटेल सहित कई अधिकारियों ने भाग लिया।

मप्र में ई-टोकन से मिलेगा खाद, प्रदेश सरकार ने शुरू की डिजिटल पहल

हलधर किसान भोपाल।

मध्य प्रदेश में हर सीजन खाद वितरण के दौरान होने वाली मारामारी और लंबी कतारों से राहत देने के लिए सरकार ने डिजिटल पहल लागू की है। ई.विकास पोर्टल के जरिए अब किसान घर बैठे टोकन बुक कर अपनी जरूरत के मुताबिक खाद प्राप्त कर सकेंगे।

जबलपुर, शाजापुर और विदिशा में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई इस व्यवस्था को सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। नई प्रणाली के तहत किसान को उसकी जमीन के क्षेत्रफल और फसल के आधार पर ही खाद मिलेगा।

तीन दिन तक वैध रहेगा टोकन

खाद के लिए ई.विकास के माध्यम से टोकन जनरेट होगा, जो तीन दिन तक वैध रहेगा। किसान यदि सहकारी समिति का सदस्य है तो संबंधित दुकानों का टोकन मिलेगा। यदि सदस्य नहीं है, तो उसे दूसरी दुकानें बताई जाएंगी। एक माह में किसी भी किसान को 50 बोरी से अधिक खाद नहीं मिलेगी। प्रदेश सरकार की इस पहल को भारत सरकार भी अपना रही है और कुछ स्थानों पर इसके पायलट प्रोजेक्ट चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

लंबी कतारों से मिलेगी मुक्ति

खरीफ सीजन हो रबी, हर साल खाद वितरण केंद्रों पर लंबी-लंबी लाइनें लगती हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने के लिए पुलिस बल भी तैनात करना पड़ता है और राजनीतिक आरोप.प्रत्यारोप भी लगते हैं। यह व्यवस्था लाइनों से छुटकारा दिलाने में सहायक सिद्ध हुई है।

ऐसे काम करती है ई.टोकन प्रणाली

ई. विकास पोर्टल के माध्यम से सुबह सात से शाम आठ बजे के बीच एग्रीस्टेक आईडी (फार्मर आईडी)द्ध में दर्ज रकबे एवं फसल के आधार पर ऑनलाइन टोकन बुक कर खाद खरीद सकते हैं। खाद कौन सी लेना है, यह किसान ही तय करते हैं। किसान द्वारा खाद लेते ही विक्रय केंद्र के भंडार में से ऑनलाइन उतनी कमी दर्ज हो जाती है। इससे मांग और आपूर्ति का सिस्टम बना रहता है।

खेती की सेहत सुधारने उर्वरक की पहचान जरूरी

विश्व की ढाई प्रतिशत जमीन पर दुनिया की 17.8 प्रतिशत जनसंख्या का पेट भरना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब तक देश के किसान इस चुनौती पर खरे उतरे हैं, लेकिन मिट्टी की उर्वरता में ह्रास की दर को देखें तो भविष्य की राह आसान नहीं है। बेजान होती मिट्टी का ही नतीजा है कि बुजुर्ग यह शिकायत करते रहते हैं कि आखिर अनाज इतने बेस्वाद कैसे होते जा रहे हैं ? पहले किसान एक साथ कई फसलें बोते थे और एक ही फसल की सैकड़ों किस्में मौजूद थी। दरअसल हरित क्रांति के दौर में क्षेत्र विशेष की पारिस्थिति की दशाओं की उपेक्षा कर फसलें ऊपर से थोपी गईं। जैसे दक्षिण भारत में गेहूं और पंजाब में धान की खेती। किसान उन्हीं फसलों की खेती करने लगे, जिनका बाजार में अच्छा मूल्य मिलता हो। इससे दलहनी, तिलहनी फसलें अनुर्वर और सीमांत भूमियों पर धकेल दी गईं। इस प्रकार फसल चक्र थमा, जिससे मिट्टी की उर्वरता, नमी, भुरभुरेपन में कमी आनी शुरू हुई। इसकी भरपाई के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा और हरी खादए कंपोस्ट आदि भुला दिए गए। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से शुरू में तो उत्पादकता बढ़ी, लेकिन आगे चलकर उसमें गिरावट आने लगी। उदाहरण के लिए 1960 में एक किलो रासायनिक खाद डालने पर उपज में 25 किलो की बढ़ोतरी होती थी, जो कि 1975 में 15 किलो और 2014 में चार किलो ही रह गई।

मिट्टी के महत्व का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जिस मिट्टी की दो सेंटीमीटर मोटी परत बनने में 500 साल लग जाते हैं, वह महज कुछ ही सेकेंडों में नष्ट हो जाती है। अब तक देश की 9.60 लाख हेक्टेयर भूमि नष्ट हो चुकी है। हर साल 5.3 अरब टन मिट्टी की ऊपरी परत जल कटाव से नष्ट हो रही है।

दशकों की उपेक्षा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मिट्टी की सेहत की सुध लेते हुए 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में स्वस्थ धरा.खेत हरा थीम के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की। इस योजना के तहत साल में दो बार मिट्टी के नमूने लिए जाते हैं अर्थात रबी और खरीफफसल की कटाई के बाद या जब खेत में कोई फसल न लगी हो। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी में मौजूद 12 तत्वों की मात्रा दिखाता है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार होने के बाद कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि सखी आदि किसानों को सुझाव देते हैं कि किस मिट्टी में किस उर्वरक का प्रयोग किया जाए। इससे रासायनिक उर्वरकों के अनावश्यक और असंतुलित इस्तेमाल में कमी आई है। गुजरात में मृदा स्वास्थ्य कार्ड को मिली सफलता को देखते हुए ही प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने इसे पूरे देश में लागू किया। इस योजना के एक दशक पूरा होने तक देश में 24.74 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। देश भर में 8,272 मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गईं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल सभी प्रमुख भाषाओं में कार्ड की सुविधा प्रदान करता है। केंद्र सरकार के इस अनूठे कार्यक्रम के तहत केंद्रीय विद्यालयोंए नवोदय विद्यालयों और एकलव्य माडल स्कूलों को शामिल किया गया है। 2024 तक 1,020 स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं। इन स्कूलों में 1,000 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का 2022.23 से मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता नाम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में एक घटक के रूप में विलय कर दिया गया है। सरकार ने जून 2023 में ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए दिशानिर्देश जारी किए। वीएलएसटीएल की स्थापना ग्रामीण युवाओं और समुदाय आधारित उद्यमियों द्वारा की जा सकती है, जिसमें स्वयं सहायता समूह, स्कूल, कृषि विश्वविद्यालय आदि शामिल हैं। फरवरी 2025 तक 17 राज्यों में 665 ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं।

रोहिणी, मृगशिरा और हस्त नक्षत्र को विवाह के लिए सर्वोत्कृष्ट संयोग: ज्योतिषाचार्य सोनी

30 नही 59 दिन का होगा ज्येष्ठ माह, इस साल अधिकमास होने से बढ़ी अवधि

ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप जैन(सोनी) अजमेर

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

अजमेर। इन दिनों जिला मुख्यालय समेत पूरे क्षेत्र में मांगलिक कार्यों की धूम मची हुई है। इस सीजन में शादियों की जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। स्थानीय स्तर पर बैंड.बाजा, मैरेज हॉल, कैटरिंग सेवा से लेकर आचार्य.पंडितों तक की बुकिंग लगभग पूरी हो चुकी है, जिससे व्यापारिक क्षेत्रों में भी भारी उत्साह है।

ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप सोनी (जैन) के बताया धार्मिक मान्यताओं इस वर्ष रवि.गुरु के विशेष संयोग से विवाह सीजन और भी शुभ फलदायी माना जा रहा है। एक सफल वैवाहिक जीवन के लिए कुंडली में सूर्य, बृहस्पति और शुक्र का सशक्त होना अनिवार्य है। जहां सूर्य आत्मबल का प्रतीक है, वहीं गुरु सौभाग्य और शुक्र दांपत्य प्रेम का कारक होता है। हालांकि, विद्वानों ने तीन ज्येष्ठ के योग से बचने की सलाह दी है, जिसमें वर.कन्या और मास तीनों ज्येष्ठ होने पर विवाह वर्जित होता है। इसके विपरीत रोहिणी, मृगशिरा और हस्त नक्षत्र को विवाह के लिए सर्वोत्कृष्ट माना गया है। मई और जून महीने में भी 10-10 दिनों के लग्न मुहूर्त निकल रहे हैं। बनारसी पंचांग के अनुसार अप्रैल की 15, 16, 20 और 21 जैसी तिथियां महत्वपूर्ण हैं, जबकि मई में शुरुआती हफ्ता शादियों से भरा रहेगा। जून के उत्तरार्ध में 19 से 29 तारीख तक लगातार शादियों का सिलसिला चलेगा। इस व्यस्तता के कारण न केवल बाजारों में भीड़ बढ़ी है, बल्कि सड़कों पर भी बारातों के कारण गहमागहमी रहने की संभावना है।

पंचांग भेद और मुहूर्तों का सटीक विवरण

विवाह की तिथियों को लेकर बनारसी और मिथिला पंचांग में आंशिक भिन्नता देखी जा रही है। मई में 1, 6, 8, 10 और 13 तारीखें प्रमुख हैं। जून और जुलाई में भी मिथिला पंचांग के अनुसार कई श्रेष्ठ तिथियां उपलब्ध हैं। यह मांगलिक उत्सव जुलाई के मध्य तक अपनी चरम सीमा पर रहेगा। जुलाई में 1, 2, 6, 7, 8 और 12 तारीख को अंतिम दौर के शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं। इसके बाद जुलाई के अंत में चातुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा, जिसके साथ ही विवाह और अन्य बड़े मांगलिक कार्यों पर एक बार फिर विराम लग जाएगा।

ज्योतिषाचार्य डॉ. सोनी के अनुसार इस बार यह ज्येष्ठ माह इसलिए भी विशेष माना जा रहा है, क्योंकि इस बार यह 30 दिन नही बल्कि 59 दिन की अवधि का होगा। इसमें अधिकमास जुड़ रहा है। अधिकमास को मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। 3 साल में एक बार अधिकमास जुड़ता है। यह जिस माह में जुड़ता है, उसके शुक्ल पक्ष से इसकी शुरूआत होती है। अधिकमास के जुड़ने की वजह से वह महीना 59 या 60 दिनों का हो जाता है।

इस वर्ष अधिकमास ज्येष्ठ माह में जुड़ रहा है, इसलिए वह ज्येष्ठ अधिकमास कहलाएगा। विक्रम संवत 2083 में ज्येष्ठ मास 2 मई से शुरू होकर 29 जून तक रहेगा। जबकि ज्येष्ठ अधिक मास 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक रहेगा। ज्येष्ठ हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना होता है और इसका संबंध मंगल ग्रह से माना गया है।

वर्ग पहेली नं. 22 बाएं से दाएं

1. भारत की राष्ट्रीय नदी, देव नदी (2)
3. घोर तपस्या करने वाला, औघड़ (3)
6. सुस्त, आलसी (3)
7. युक्ति, चाल (4)
9. शौक, व्यसन (2)
10. ताजा व व्यवस्थित (4)
12. विवाहित स्त्री (4)
13. गुनाह, दोष (4)
14. भ्रमित होना (4)
16. घाव, आघात, संताप (2)
17. लौटना, एकदम पीछे की ओर मुड़ना, बदलना (4)
19. सीने की हड्डी (3)
20. कौंचा, पलटने वाला कोई पात्र या औजार (3)
21. फायदा, नफा (2)

ऊपर से नीचे.

2. अपशब्द बोलना (4)
3. व्यवधान, रुकावट (4)
4. प्रथा, रिवाज़ (2)
5. संधि, कोई करार (4)
8. कथा पढ़ने वाला (5)
11. भिड़ंत, टक्कर (5)
13. अत्यधिक सुंदर, जिसकी उपमा न दी जा सके (4)
14. चटखारेदार, मसालेदार (4)
15. श्रीकृष्ण की बाल लीला का मंचन (4)
18. नपाई, माप (2)

१	२	■	३		४	■	■	५
■	६			■	७	८		
■		■	९		■		■	
१०		११		■	१२			
■	■		■	■	■		■	■
१३				■	१४		१५	
	■		■	१६		■		■
१७			१८	■	१९			■
	■	■	२०			■	२१	

वर्ग पहेली नंबर 21 का हल

■	१ आँ	२ ख	मि	३ चौ	ली	■	४ औ	■
५ ऊ	ख	ल	■	रा	■	६ अ	र	७ सा
स	■	८ ब	ह	न	■	म	■	रं
९ र	१० सौ	ली	■	११ वे	१२ त	न	१३ भो	गी
■	र	■	१४ अं	■	य	■	ज	■
१५ सं	भ	१६ व	त	१७ या	■	१८ क	न	१९ क
च	■	ह	■	२० ता	बू	त	■	बा
२१ य	२२ ती	म	■	या	■	२३ र	२४ ब	ड़ी
■	र	■	२५ ख	त	र	ना	क	■

अमेरिका.इजरायल और ईरान युद्ध का चहुंतरफा वार, खाद-बीज और केमिकल फर्टिलाइजर 15-20 प्रतिशत महंगे, गेहूं के दाम गिरे

नई दिल्ली। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच दो माह से भी ज्यादा समय से जारी तनाव ने भारत के कृषि और ऊर्जा क्षेत्र के लिए गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। कृषि में संकट का दायरा उर्वरक और कीटनाशक जैसे इनपुट के आयात से लेकर कृषि उत्पादों के निर्यात तक है। उर्वरक के तौर पर भारत में सबसे अधिक खपत यूरिया की होती है और 2024-25 में करीब 75 प्रतिशत यूरिया आयात पश्चिम एशियाई देशों से हुआ। युद्ध के कारण तैयार उर्वरक और इनके कच्चे माल, दोनों की आपूर्ति बाधित हुई है। आने वाले दिनों में उर्वरकों और कीटनाशकों की उपलब्धता की समस्या खड़ी हो सकती है।

उर्वरकों के दाम तो नियंत्रित हैं, लेकिन कीटनाशक और पैकेजिंग मैटेरियल कंपनियां अपने उत्पादों के दाम बढ़ा सकती हैं। जहां तक निर्यात की बात है, तो पश्चिम एशियाई देशों को 2025 में भारत से 11.8 अरब डॉलर के कृषि और खाद्य उत्पादों का निर्यात किया गयाए जो भारत के कुल कृषि निर्यात का 21.8% है।

दरअसल, ईरान के जवाबी हमलों के बाद कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब के गैस संयंत्रों में उत्पादन बाधित होने से गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है। इस कारण भारत के अधिकांश यूरिया संयंत्रों में क्षमता से कम उत्पादन होने लगा। वैसे भी, संकट को देखते हुए सरकार ने 9 मार्च को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उर्वरक क्षेत्र के लिए छह माह के औसत का 70% गैस उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया, जिसे बाद में बढ़ाया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से 2 मई को जारी अपडेट के अनुसार उर्वरक संयंत्रों को उनकी छह माह की औसत खपत के 98 प्रतिशत के बराबर गैस उपलब्ध कराई जा रही है।

एक और संकट माल ढुलाई का है। भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापार के लिए ईरान से सटा होर्मुज जलडमरूमध्य प्रमुख मार्ग है। यहां ईरान की नाकेबंदी के कारण कंटेनर भाड़ा दो से तीन गुना बढ़ गया है। जोखिम बढ़ने के साथ बीमा और वॉर रिस्क प्रीमियम में भी बढ़ोतरी हो गई। समुद्री जहाजों का ईंधन भी 520 डॉलर से बढ़कर 700 डॉलर प्रति टन हो गया। सुरक्षा कारणों से जो जहाज वैकल्पिक मार्ग अपना रहे हैं उनका ट्रांजिट समय 25-30 दिनों से बढ़कर 35-45 दिन हो गया है। इन सबसे माल ढुलाई महंगी हुई है।

दुनिया का लगभग 30 प्रतिशत कच्चा तेल और एलएनजी व्यापार होर्मुज के रास्ते होता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 60 % एलपीजी आयात करता है, 90 प्रतिशत एलपीजी खाड़ी देशों से खरीदता है और लगभग 50% एलएनजी के लिए कतर और यूएई पर निर्भर है। हालांकि भारत सरकार ने ईरान के साथ बातचीत करके तेल और गैस के कुछ कंटेनर निकालने में सफलता हासिल की है, लेकिन स्थिति जल्दी सामान्य होती नहीं लग रही।

भारतीय रुपये में गिरावट ने स्थिति और खराब कर दी है। रुपया कमजोर होकर प्रति डॉलर 95 के पार चला गया। इससे दूसरे स्रोतों से कृषि इनपुट का आयात तो महंगा हुआ ही, दाल, खाद्य तेल आदि की आयात लागत भी बढ़ी है। कनाडा और अफ्रीका से आयातित दालों के दाम 10.15% बढ़ गए हैं। इसका असर घरेलू महंगाई पर दिख सकता है।

भारत अपनी जरूरत का 85.90 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। भारत के कुल आयात बिल का 25.30 प्रतिशत पेट्रोलियम ही होता है। युद्ध शुरू होने से पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रुड 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास था। यह 50 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 110 डॉलर के आसपास चल रहा है।

उर्वरक क्षेत्र पर असर

कृषि तीन मुख्य पोषक तत्वों . नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश पर निर्भर करती है। नाइट्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैस से होता है, जबकि फॉस्फोरस के लिए रॉक फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड जरूरी है। पोटाश अलग खनिज स्रोतों से प्राप्त होता है। यह अपने आप में अभूतपूर्व है कि ये तीनों पोषक तत्व एक साथ दबाव में हैं। होर्मुज मार्ग बाधित होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया के दाम 700 डॉलर प्रति टन पर पहुंच गए, जो युद्ध से पहले 500 डॉलर से कम थे।

30 मार्च को एक अंतर.मंत्रालयी बैठक में उर्वरक मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अपर्णा एस. शर्मा ने बताया कि भारत ने अपने उर्वरक स्रोतों में विविधता लाते हुए रूस, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया और कनाडा जैसे देशों से आयात शुरू किया है, लेकिन कीमतों में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में 1.8 करोड़ टन का उर्वरक भंडार है, जो पिछले वर्ष इस समय 1.4 करोड़ टन था। हालांकि आगामी खरीफ सीजन के लिए कुल मांग 3.9 करोड़ टन रहने का अनुमान है।

भारत में सालाना करीब 400 लाख टन यूरिया की खपत होती है और हर साल लगभग 100 लाख टन यूरिया का आयात होता है। दूसरा सबसे अधिक आयात होने वाला उर्वरक डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) है। इसमें आयात पर भारत की निर्भरता लगभग शत.प्रतिशत है। इसकी सालाना खपत करीब 100 लाख टन की है।

उर्वरकों की बिक्री की निगरानी

भारत में उर्वरकों की उपलब्धता के आसन्न संकट को भांपते हुए सरकार इनकी बिक्री में सख्ती बरतने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उर्वरक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए किसान आईडी विस्तार में तेजी लाने के निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार, उर्वरक मंत्रालय हाल में चार राज्यों में किए गए पायलट प्रोजेक्ट के डेटा की समीक्षा कर रहा है, जिसमें उर्वरक खरीदने वाले किसानों का आधार और किसान आईडी के माध्यम से सत्यापन किया गया और उर्वरक उपयोग का डेटा तैयार किया गया।

एग्रीस्टैक, जिसमें राज्यों ने अपने-अपने डेटा को एकीकृत किया हैए में लगभग 9.24 करोड़ डिजिटल किसान आईडी शामिल हैं। एग्रीस्टैक का उद्देश्य सब्सिडी वाले कृषि.रसायनों के दुरुपयोग, अत्यधिक उपयोग या औद्योगिक उपयोग के लिए अवैध रूप से डायवर्जन को रोकना है। जो किसान एग्रीस्टैक में पंजीकृत नहीं हैं उन्हें उर्वरक मिलते रहेंगेए लेकिन प्वाइंट ऑफ सेल ;पीओएसद्ध मशीनों के जरिए खरीद की सख्त जांच की जाएगी।

कीटनाशक महंगे होने के आसार

एग्रोकेमिकल कंपनियों का कहना है कि लागत में वृद्धि के कारण उन्हें दाम बढ़ाने पड़ेंगे और अब नया उत्पादन बढ़ी हुई कीमतों के साथ ही बाजार में आएगा। एक बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी के शीर्ष अधिकारी के अनुसार कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे के कारण रिफाइनरियों ने पेट्रोकेमिकल उत्पादों के दाम 25-30 फीसदी बढ़ा दिए हैं। साथ ही, पैकेजिंग उत्पादों की कीमतों में भी 15 से 30 फीसदी की वृद्धि हुई है। सप्लायरों ने पहले से तय अनुबंधों की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। कीटनाशकों में इस्तेमाल होने वाले सॉल्वेंट और इमल्सीफायर महंगे हो गए हैं, जो एग्रोकेमिकल्स का मुख्य हिस्सा होते हैं। खरीफ में कीटनाशकों की खपत अधिक होती है, इसलिए किसानों की लागत बढ़ना निश्चित है।

मध्य पूर्व के हालात पर निगरानी के लिए सरकार ने सात एम्पावर्ड ग्रुप का गठन किया है, जिसमें एक समूह कृषि इनपुट के लिए है। जैसा सरकार कह रही हैए उर्वरकों की फिलहाल कोई समस्या नहीं है। लेकिन युद्ध लंबा खिंचने पर हालात बिगड़ सकते हैं। युद्ध से पहले भी उर्वरकों के लिए किसानों के जूझने की खबरें आती रही हैं। उनके सामने एक तरफ इनपुट की उपलब्धता की समस्या है तो दूसरी तरफ उपज के घटते दाम का संकट है।

हर बड़े आर्थिक संकट में कृषि और संबद्ध क्षेत्र ही इकोनॉमी को उबारने का काम करता रहा है। मौजूदा हालात में कृषि क्षेत्र कैसे उबरेगा, सरकार ने अभी तक उसका कोई रोडमैप नहीं दिया है। इस बार सिर्फ उर्वरक सब्सिडी शायद नाकाफी होगी, सरकार को इससे कुछ अधिक करने की जरूरत पड़ेगी।

निर्यात में खाड़ी देशों पर निर्भरता

युद्ध के कारण भारत से बासमती चावल, फल और मसाले जैसे कृषि उत्पादों का निर्यात प्रभावित हुआ है। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के अनुसार, भारत ने 2025 में पश्चिम एशियाई देशों को 4ण्43 अरब डॉलर का चावल निर्यात कियाए जो कुल चावल निर्यात का 36.7% है। भारत का 70 प्रतिशत बासमती निर्यात ईरान, सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे मध्य.पूर्व के देशों को होता है। ईरान अकेले भारतीय बासमती का 15.20% खरीदता है। शिपमेंट रुकने से अकेले ईरान को 1.2 अरब डॉलर का निर्यात खतरे में है। पिछले साल भारत के 39.65 करोड़ डॉलर के केला निर्यात में से 79.6% पश्चिम एशिया को गया। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के केला उत्पादक किसान इस बाजार पर काफी निर्भर हैं।

बिना आदान के कृषि की कल्पना नहीं की जा सकती

राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र हलधर किसान

भोपाल।

कृषि में आरम्भ से अंत तक विभिन्न आदानों की आवश्यकता होती है। बिना आदान के कृषि की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रत्येक आदान अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। इन आदानों का उपयोग किस प्रकार से किया जावे, इनकी व्यवस्था कब कब की जाए हम इस पर प्रस्तुत लेख में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं।

कृषि में सबसे पहले क्रम पर बीज आता है। यह एक महत्वपूर्ण आदान है। इस सन्दर्भ में हमेशा उन्नत और प्रमाणित बीज ही उपयोग में लिया जाना चाहिए, साथ ही कोई क्षेत्र विशेष में कोई कीट व्याधि की अधिकता हो तो ऐसी स्थिति में हमें उपलब्धता के आधार पर प्रतिरोधक बीज को वरीयता देना चाहिए। बीज से जुड़े अन्य आदान हैं बीजोपचार रसायन- इनमें फफूंनाशक, कीटनाशक एवं सूक्ष्मजीव या जीवाणु से बने उत्पाद सम्मलित हैं। सामान्य तौर पर फफूंदनाशक, कीटनाशक और सूक्ष्मजीव से बीज को बुवाई के पूर्व उपचारित कर लेना चाहिए। उपरोक्त सुझाए क्रम में ही इनका उपयोग किया जाता है। बीज की आवश्यकता के अनुसार ये सभी या कोई एक या दो उपचार किये जाते हैं। दलहन फसलो में सामान्यतः सभी उपचार की आवश्यकता होती है। खाद्यान्न, तिलहन, कपास व सब्जियों और फल वृक्षों में अज़ोतोबेक्टर का उपयोग अनुशंसित है। पीएसबी का उपयोग किसी भी फसल या अन्य प्रजाति में फोस्फोरस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ट्राईकोडेर्मा नामक जैविक फफूंदनाशक भी मिट्टी या बीज जनित रोगों जैसे जड़ सड़न, उकठा, डैमपिंग ऑफ के लिए 5.10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीजदर से उपयोगी है। इसे मिट्टी उपचार, नर्सरी / पौध उपचार या खड़ी फसल में छिड़काव (1 किलोग्राम / 200 लीटर पानी) किया जा सकता है।

जैव उर्वरक (बायोफर्टिलाइज़र) रायजोबियम, आज़टोबक्टर, पी एस बी सूक्ष्मजीवो से बने उत्पाद हैं। ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, पौषक तत्वों (नत्रजन व स्फूर) को सुलभ कराने में होता है। ये फसल उत्पादन में 10-20 प्रतिशत वृद्धि करते हैं, पर्यावरण अनुकूल होते हैं और रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करते हैं। इनके पश्चात अगले आदान पौषक तत्व होते हैं। सामान्यतः पौधों को 17 पौषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तत्व पौधों के सामान्य विकास, वृद्धि और जीवन चक्र को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन (हवा ध्पानी से), नाइट्रोजन, स्फूर, पोटाश (मुख्य) कैल्शियम, मैगनीसियम, सल्फर (द्वितीयक) और सूक्ष्म पौषक तत्वों के रूप में मिट्टी से प्राप्त होते हैं। सूक्ष्म पौषक तत्वों में लोहा, मैगनीज, जिंक, कॉपर, बोरोन, मोलीब्डेम, क्लोरीन एवं निकल सम्मलित हैं। इनमें किसी भी तत्व की

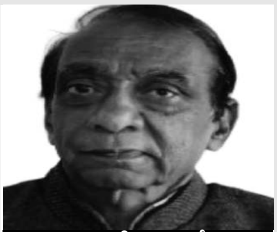

सतीश परसाई
रिटा. वरिष्ठ वैज्ञानिक,नर्मदापुरम रोड भोपाल

कमी होने पर फसलों की वृद्धि रुक जाती है और उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगले क्रम में पौध संरक्षण की बारी आती है। इनमें कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवारनाशक, मकड़ीनाशक एवं कृतक़नाशक रसायन सम्मलित किये जाते हैं। कीटनाशक स्पर्श, देहिक और प्रधुमक प्रकार के होते हैं। स्पर्श या उदरीय कीटनाशकों का उपयोग कटाने और चबाने वाले कीटों के लिए किया जाता है। देहिक या सर्वांगी कीटनाशक रस चूसक कीटों के लिए उपयोगी होते हैं। प्रधुमक सामान्य तौर पर अनाज भण्डारण के कीटों के लिए प्रयुक्त होते हैं। फफूंदनाशकों का उपयोग फफूंद जनित रोगों के लिए किया जाता है। खरपतवारनाशकों में चयनात्मक, गैर चयनात्मक अंकुरण पूर्व, अंकुरणोंत्तर, देहिक/ प्रणालीगत, संपर्क खरपतवारनाशक होते हैं। मकड़ीनाशक विभिन्न प्रकार की मकड़ियों के नियंत्रण में उपयोग किये जाते हैं। कृन्तकनाशक सामान्यतः चूहों के लिए उपयोगी हैंण् ये एकमात्रक (जिंक फोसफाइड) एवं बहुमात्रक (वारफेरीन, रोडाफिन, रेटाफिन) प्रकार के होते हैं।

विविध प्रपंचो की भी कीट प्रबंधन में उपयोगिता है। पीले .नीले चिपचिपे प्रपंच, विषेले प्रपंच, प्रकाश प्रपंच एवं फेरोमोन प्रपंच की अलग-अलग उपयोगिता है। इसी प्रकार से प्रलोभक और प्रतिकर्षक भी उपयोगी होते हैं। टी आकार की खुटियां भी खेत में जगह जगह लगाई जा सकती हैं। इन पर पक्षी आश्रय प्राप्त करते हैं और वे इल्ली व अन्य कीटों को खाकर नष्ट करते हैं।

वृद्धि नियामक प्राकृतिक या कृत्रिम कार्बनिक योगिक हैं जो पौधों के विकासए कोशिका विभाजन, जड़ बनने, फल बनने और पुष्पन जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित (बढ़ा या घटा) करते हैं। इन्हें फीथोहार्मोन या पादप हार्मोन भी कहा जाता है, जो बहुत कम मात्रा में पौधों की क्रियाओ को नियंत्रित करते हैं। औक्सिन, जिबेरेल्लीन (फल आकार वृद्धि), एथिलीन (फल पकना), ऊँचाई रोकने, जड़ो की वृद्धि नियंत्रित करने, फलो-फूलों को गिरने से रोकना करते हैं। एनएएनेफ्थलीन (ऐसीटिक एसिड) भी एक हार्मोन है। आजकल सिंचाई की आधुनिक विधियां भी प्रचलन में हैं, पानी की बचत ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। इनमें फव्वारा सिंचाई आधुनिक तकनीक है, जिसमें पानी को दवाब का उपयोग करके फव्वारे के रूप में छिड़काव करते हैं। इसमें प्रमुख रूप से मुख्य पाइप, उप मुख्य पाइप, लेटरल पाइप, नोजल, स्प्रिंकलर हेड, फिल्टर उपयोग होते हैं। इसमें 40-60 प्रतिशत पानी की बचत होती है और उबड़ खाबड़ ज़मीन के लिए भी उपयुक्त होती है। टपक सिंचाई पानी व पौषक तत्वों को जड़ो तक बूंद-बूंद कर पहुंचाने की एक कुशल विधि है। पंप, फिल्टर (स्क्रीन /सैंड) वेंचुरी फर्टिलाइजर टेक, मैन .सब मैन लाइन उपकरण आवश्यक होते हैं। इनके अतिरिक्त पीवीसी पाइप, डिप्पर्स, अमीटर और फिटिंग भी लगते हैं। टपक सिंचाई में 70-95 प्रतिशत तक पानी की बचत होती है। इसे लगाने के लिए शासन द्वारा 80-90 प्रतिशत तक अनुदान भी दिया जाता है। पानी की अत्यंत कमी वाले क्षेत्र एवं ढलान भूमि में इसकी बहुत उपयोगिता है। आदान कृषि की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। हमें इनकी व्यवस्था करते समय इनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रमाणित संस्थाओ या संस्थान से इनकी व्यवस्था करना चाहिए। जहां आई एस आई प्रमानन की व्यवस्था है वहाँ इसका विशेष ध्यान रखा जावे। निजी संस्थान भी उच्चस्तरीय एवं भरोसेमंद हों यह विशेष ध्यान रखा जावे। प्रत्येक आदान खरीदते समय उसकी पक्की रसीद या बिल अवश्य प्राप्त कर लेवें। किसी कंपनी विशेष का आदान क्रय करते समय उसके स्थानीय अधिकृत विक्रेता से ही लें। यदि ऐसा आदान हो जिसे एक निश्चित अवधि में उपयोग करना हो उसके अवसान की तिथि पर भी अवश्य ध्यान देंण् आदान की व्यवस्था पर्याप्त समय पूर्व कर ली जावे यह भी जरुरी है।

स्वामी विवेक जैन, प्रकाशक, विवेक जैन, मुद्रक कैलाश महाजन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित एवं 26/1, विवेकानंद कॉलोनी, वार्ड नंबर 5, खरगोन, जिला खरगोन से प्रकाशित, पिननं. 451001 (मप्र) संपादक विवेक जैन, RNI No. MPHIN/ 2022/85285. मोबा. नं. 9826225025, 94254 89337 (सभी विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)